कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)
E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ती (**48/26,** दिनांक **01.08.2026**)

* वन्यजीव तेन्दुए के शिकार में लिप्त संगठित गिरोह का पर्दाफाश *

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश के निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) मध्यप्रदेश द्वारा की गयी बड़ी कार्यवाही।

दिनांक 23 जुलाई 2026 को आगरा (उत्तरप्रदेश) के सैंया क्षेत्र में आगरा वन विभाग एवं आगरा पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए 04 तस्करों (हरियाणा के 2 एवं मध्यप्रदेश के 2) को गिरफ्तार किया था। इनके पास से तेंदुए की 10 खालें एवं अन्य अवयव बरामद किए गए थे। इस अंतर्राज्यीय गिरोह के तार (मध्यप्रदेश से जुड़े होने की सूचना पर तत्परता दिखाते हुए स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश ने त्वरित कार्यवाही की और उत्तरप्रदेश के आगरा एवं मध्यप्रदेश के उत्तरी जिलों में तलाश हेतु अलग-अलग विशेष टीमों का गठन कर भेजा।

दिनांक 30 जुलाई 2026 को STSF, कूनो वन्यप्राणी वनमण्डल, श्योपुर वनमण्डल एवं मुरैना वनमण्डल के संयुक्त दल ने कार्यवाही करते हुये श्योपुर एवं मुरैना जिला में आरोपियों की निशानदेही पर अलग-अलग शिकार स्थलों (मौका स्थल) की शिनाख्त कर भारी मात्रा में तेंदुए की हड्डियाँ एवं अन्य अवयव जप्त कर 02 वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/25 दिनांक 30.07.2026 एवं वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3951/01 दिनांक 31.07.2026 दर्ज किये। उक्त दोनों अपराध प्रकरणों में कुल 10 तेंदुओं का शिकार किया जाना आरोपियों ने स्वीकार किया, जिसमें से 06 कूनो वन्यजीव वनमण्डल में, 02 श्योपुर वनमण्डल एवं 02 चम्बल अभ्यारण मुरैना वनमण्डल में किये जाने की पुष्टि हुयी है। इन आरोपियों से फंदा (Leg Hold Trap) भी जप्त किये गये हैं। प्रकरण में निम्नलिखित 07 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया :-

1. इकराम पुत्र मनीराम, निवासी झार बरोदा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर
2. लज्जाराम पुत्र विद्या उर्फ पन्ना, निवासी झार बरोदा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर
3. गोपाल पुत्र कारू, निवासी झार बरोदा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर
4. महेश पुत्र जरदान, निवासी झार बरोदा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर
5. प्रकाश पुत्र होतम, निवासी झार बरोदा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर
6. हुब्बा पुत्र दीवान, निवासी झार बरोदा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर
7. गब्बर पुत्र सरूपा, निवासी ग्राम हंसइ, जिला मुरैना (माननीय न्यायालय आगरा की अभिरक्षा में)

गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को STSF के लिए अधिकृत विशेष न्यायालय, शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । आरोपियों की रिमाण्ड कार्यवाही की जानी बाकी है, प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल